

कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, जोधपुर मण्डल, जोधपुर

पुलिस लाइन के सामने रातानाडा, जोधपुर राज0

" कार्यालय-आदेश "

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा-मा/संस्था/ एफ-1/12102/ सी.भ. /व0अ0/2016/सा.विज्ञान दिनांक 12.04.2018 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 के विषय सामाजिक विज्ञान को नियुक्ति हेतु पदस्थापन के लिए सुपुर्द करने के फलस्वरूप वरियता क्रमांक 1927 BC, BL पर चयनित अभ्यर्थी मांगीलाल/रामकुमार जन्म दिनांक 21.04.1988 को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के वेतन लेवल 11 में दो वर्ष की अवधि हेतु प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत मानदेय 26,500/- (छब्बीस हजार पाँच सौ रुपये) पर नियुक्ति दी जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय पदस्थापन हेतु आवंटित किया गया।

अभ्यर्थी मांगीलाल/रामकुमार परिवर्तित नाम रणवीर जन्म दिनांक 21.04.1988 के नाम व शैक्षिक, प्रशैक्षिक प्रमाण-पत्रों में विरोधाभास के कारण इस कार्यालय के पत्र क्रमांक:- ईडीडी/माध्य/जोध/ईए/आरपीएससी 2016/सामा.वि./2018/268 दिनांक 19.04.2018 निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से मार्गदर्शन चाहा गया था। उक्त संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के तत्कालीन आदेशानुसार अभ्यर्थी के पदस्थापन आदेश आगामी आदेश तक जारी नहीं किए जाने के निर्देश प्रदान किए गये।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने अपने पत्र क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/12102/व0अ0-सामाजिक विज्ञान/2016 दिनांक 31.07.2018 एवं शिविरा-मा/संस्था/ एफ-1/12102/सी.भ./व.अ./सा.वि./2016/380 दिनांक 20.08.2018 के द्वारा अभ्यर्थी का नियमानुसार परिवर्तित नाम के आधार पर पदस्थापन आदेश जारी के निर्देश दिये जाने के फलस्वरूप नियुक्ति दी जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

क्र. स.	अभ्यर्थी का फोटो	मेरिट नं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म दिनांक	वर्ग	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान	विद्यमान वेतन/नियत पारिश्रमिक
1		1924	RANVEER	RAM KUMAR	21-04-1988	BC, BL	OBCM LV	GUPS SANWALASI, SEDWA, DIST - BARMER	नियत पारिश्रमिक

इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(9) एफडी(रुल्स)/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 26500/- (छब्बीस हजार पाँच सौ रुपये) अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा। परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनेरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन(डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-12(9) एफडी(रुल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनेरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौति नियमानुसार होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे:-

- नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कर्मियों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी स्वयं सत्यापित प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे। साथ ही पदस्थापन आदेश में अभ्यर्थी के नाम के सामने आवेदन पत्र में लगाये गये फोटो भी दिया गया। अभ्यर्थी के कार्यग्रहण करने के समय फोटो से मिलान अनिवार्यरूप से करें।

22/17

3. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्संबंधी आशय का स्वयं सत्यापित प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
4. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जावे।
5. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक, प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जाँच विभाग स्तर पर कार्यवाही की जानी शेष है अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य सरकार से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाये जाने के अध्याधीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 10/-रु० के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता व वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनका विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
6. आवेदन पत्र के साथ सलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कार्यग्रहण कराने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगे।
7. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण-पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो ही मान्य होगा। संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण कराने से पूर्व इसकी पालना सुनिश्चित करें।
8. चयनित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण कराने से पूर्व उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की आवश्यक रूप से जाँच करें तथा अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें की उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा।
9. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
10. यह नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञप्ति वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) प्रतियोगी परीक्षा-2016 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णयों के अध्याधीन रहेंगे।
11. इन अभ्यर्थियों को अपने पदस्थापित स्थान पर दिनांक 05.09.2018 तक अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगे।

(बंशीधर गुर्जर)

उप निदेशक (माध्यमिक)

शिक्षा विभाग, जोधपुर

दि 21.08.2018

क्रमांक:- ईडीडी/माध्य/जोध/ईए/व.अ./सा0वि0/RPSC 2016/2018/ 689

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर राजस्थान।
5. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा जोधपुर मण्डल, जोधपुर।
8. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम, द्वितीय जोधपुर।
9. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, जोधपुर मण्डल।
10. अवधायक, वरिष्ठता अनुभाग, स्थानीय कार्यालय।
11. संबंधित संस्था प्रधान।
12. संबंधित अभ्यर्थी को पंजीकृत डाक के माध्यम से।
13. निजी/रक्षक पंजिका।

उप निदेशक (माध्यमिक)

शिक्षा विभाग, जोधपुर